



कार्यालय मुख्य वन संरक्षक
वनवृत्त, बालाघाट, मध्यप्रदेश - 481001

Email- ccf.bgt@mp.gov.in, दूरभाष : 07632-241201 फ़ैक्स : 07632-240268

क्रमांक/तक.कक्ष./120
प्रति,

बालाघाट, दिनांक : 27/01/2024

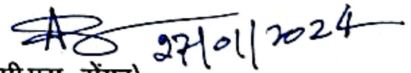
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,
(कक्ष-भू प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

- विषय:- बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत प्रस्तावित सड़क मार्गों की उपयुक्तता के संबंध में।
- संदर्भ:- वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सामान्य वनमण्डल बालाघाट का पत्र क्रमांक/तक.अ./168 दिनांक 25.01.2024

-0-

उपर्युक्त विषयांतर्गत वनमण्डलाधिकारी द्वारा उनके संदर्भित पत्र से इस कार्यालय को प्रेषित प्रतिवेदन में अवगत कराया गया है कि बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत 15 प्रस्तावित सड़क मार्गों का स्थल निरीक्षण किया गया है। यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि "प्रस्तावित सड़क मार्गों का निर्माण नक्सल उन्मुलन की दृष्टि से उपयोगी है। उक्त मार्गों का उपयोग नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा पुलिस विभाग द्वारा सतत सर्चिंग के लिये किया जाना है। उक्त मार्गों के निर्माण से आदिवासी क्षेत्रों में आवागमन भी होगा एवं साथ ही वनोपज सामग्री की निकासी तथा वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को गस्ती करने में सुगमता होगी। प्रस्तावित सड़क मार्गों के निर्माण से जनहित एवं ग्रामीणों को आवागमन सुविधा, नक्सली उन्मुलन एवं क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से उपयुक्त है। उपयुक्तता के संबंध में भाग-11 की छायाप्रति संलग्न की गई है।" वनमण्डलाधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से सहमत होते हुए वनमण्डलाधिकारी द्वारा बताये मार्गों की उपयुक्तता से सहमति व्यक्त की जाती है। वनमण्डल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


(ए.पी.एस. सेंगर)
भा.व.से.
वन संरक्षक
वनवृत्त बालाघाट म.प्र.



कार्यालय

वनमण्डलाधिकारी उत्तर (सामान्य) वनमण्डल, बालाघाट म.प्र.

e-mail : dfotnbghat@mp.gov.in

Telephone No. : (07632) 247044

क्रमांक/तक.अ. / 168

बालाघाट, दिनांक 25/01/2024

प्रति,

वन संरक्षक,
बालाघाट वनवृत्त, बालाघाट

विषय :- बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अंतर्गत प्रस्तावित सड़क मार्गों की उपयुक्तता के संबंध में।

---000---

निवेदन है कि बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अंतर्गत प्रस्तावित सड़क मार्गों का मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया है, जो निम्नानुसार है :-

1. मैंसवाही से जल्दीडांड तक सड़क निर्माण प्रकरण क्रमांक/FP/MP/ROAD/155407/2022 रकबा 9.912 हेक्टे.
2. पितकोना से दड़कसा तक सड़क निर्माण प्रकरण क्रमांक/FP/MP/ROAD/155301/2022 रकबा 4.455 हेक्टे.
3. चालीसबोड़ी-कुल्पा-माटे ^(2.0) व्हाया बम्हनी तक सड़क निर्माण प्रकरण क्रमांक/FP/MP/ROAD/156090/2022 रकबा 5.988 हेक्टे.
4. डाबरी-कलकत्ता व्हाया लातरीटोला-माहुरदल्ली-बोदालझोला मार्ग तक सड़क निर्माण प्रकरण क्रमांक/FP/MP/ROAD/156088/2022 रकबा 15.720 हेक्टे.
5. गोदरी-हरनाला व्हाया दुगलई मार्ग तक सड़क निर्माण प्रकरण क्रमांक/FP/MP/ROAD/156133/2022 रकबा 7.560 हेक्टे.

उपरोक्त प्रस्तावित सड़क मार्गों का निर्माण नक्सल उन्मुलन की दृष्टि से उपयोगी है। उक्त मार्गों का उपयोग नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा पुलिस विभाग द्वारा सतत् सर्चिंग के लिये किया जाना है। उक्त मार्गों के निर्माण से आदिवासी क्षेत्रों में आवागमन भी होगा एवं साथ ही वनोपज सामग्री की निकासी तथा वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को गश्ती करने में सुगमता होगी। प्रस्तावित सड़क मार्गों के निर्माण से जनहित एवं ग्रामीणों को आवागमन सुविधा नक्सली उन्मुलन एवं क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से उपयुक्त है। अतः उपयुक्तता के संबंध में भाग-II की छायाप्रति संलग्न सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(अभिनव पल्लव)

भा.व.से.

वनमण्डलाधिकारी

उत्तर वनमण्डल (सा.) बालाघाट





कार्यालय मुख्य वन संरक्षक
वनवृत्त, बालाघाट, मध्यप्रदेश - 481001

Email- ccf.bgt@mp.gov.in, दूरभाष : 07632-241201 फैक्स : 07632-240268

क्रमांक/तक. कक्ष/ 121
प्रति,

बालाघाट, दिनांक : 27/01/2024

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(कक्ष भू-प्रबंध)
म.प्र., भोपाल

विषय :- बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अंतर्गत भैंसवाही से जल्दीडांड तक सड़क निर्माण कार्य किये जाने हेतु 9.912 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 9.954 हे.) म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत। (प्रकरण क्रमांक/FP/MP/ROAD/155407/2022)

संदर्भ :- आपका पत्र पृष्ठांकन क्रमांक/एफ-5/1192/2022/10-11/282 दिनांक 15.01.2024.
-0-

निवेदन है कि उपर्युक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र क्र. 6-एमपीआर 030/2023-बीएचओ दिनांक 27.12.2023 में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक-02 की जानकारी निम्नानुसार संप्रेषित है :-

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
2	This has been decided in the REC in the month of October that concerned CF will have to submit an inspection report to this Office accordingly. The State Govt. kindly refer the minute of meeting dated 23.10.2023 in this regard.	विषयांकित प्रकरण में कुल 9.912 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हो रही है, संशोधित वन (संरक्षण) नियम, 2022 के नियम 9 के उपनियम 4(छ) पृष्ठ क्र. 07 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार जिन प्रकरणों में 40.00 हेक्टेयर से अधिक वनभूमि सम्मिलित है, उनका क्षेत्रीय निरीक्षण संबंधित वनसंरक्षक द्वारा किया जाना है। चूंकि उक्त प्रकरण में 9.912 हेक्टेयर वनभूमि अर्थात 40 हेक्टेयर से कम वनभूमि प्रभावित होने के कारण CF/CCF के स्थल निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है।

27/01/2024
(ए.पी.एस. सेंगर)
भा.व.से.

वन संरक्षक
वनवृत्त बालाघाट म.प्र.

पृष्ठा. क्रमांक/तक.कक्ष/ 122
प्रतिलिपि :-

बालाघाट, दिनांक : 27/01/2024

- वनमंडल अधिकारी, उत्तर सामान्य वनमंडल बालाघाट की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- आवेदक विभाग/संस्थान:-महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक-1 बालाघाट म.प्र. की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वन संरक्षक
वनवृत्त बालाघाट म.प्र.

भाग - II

1	परियोजना के अनुमोदन के लिए कारण के साथ डीएफओ की विशिष्ट सिफारिशें।	महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्र. 1 बालाघाट द्वारा RCPLWE योजना के अंतर्गत भैंसवाही से जल्दीडांड तक सड़क निर्माण किये जाने हेतु प्रस्तावित वनकक्ष क्रमांक 1558,1501,1505,1491,1492, एवं 1493 रकबा 9.912 हेक्टेयर वनभूमि की मांग न्यूनतम है। प्रस्तावित सड़क निर्माण से जनहित एवं ग्रामीणों को आवागमन सुविधा, नक्सली उन्मुलन एवं क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से शासन के नियमानुसार स्वीकृति प्रदान किये जाने की अनुशंसा की जाती है।
---	--	--

स्थान - बालाघाट



वनमण्डलाधिकारी

प्रुत्तर सा. वनमण्डल, बालाघाट